



कार्यालय अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. :- 07652-243000
फैक्स नं. :- 07652-243222

ई-मेल:- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :-www.gmcshahdol.org

क्रमांक/ 1088/ स्था. /राज. /एम.सी. /2025

शहडोल, दिनांक 15/01/2025

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 मे किये गये प्रावधानों के अनुसार एवं महाविद्यालय की 14वीं कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये अनुमोदन उपरान्त एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत स्फूटनी समिति की अनुशंसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 मे उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 02 मे उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम 04 मे दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर एवं कॉलम 05 मे उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) व्यूनाटम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं.	कॉलम 03 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यार्थी के नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	जैयश्री मुखर्जी, (नर्सिंग ऑफिसर) गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल म.प्र.	शालू कुशवाहा, (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.।	बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग
2.	सपना तिवारी, नर्सिंग ऑफिसर डायरेक्टर स्कूल ॲफ एक्सीलैन्स इन पाल्मोनरी मेडिसिन विभाग (नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर (म.प्र.)।	मोहम्मद गुलाम हुसैन, (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.।	बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्त आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के द्वारा से स्वशासी संस्था द्वारा गिल्ड मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिल्नेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

4. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र कमांक सी. 3-13/2019/3 एक भोपाल दिनांक 1 2 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
5. परिवीक्षा अवधि में पद के वेतमान के व्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।
6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 28700-91300 (लेवल07) से व्यनतम वेतन रूपये-28700/- प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भत्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलब्धियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड़ताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपये के स्टम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. स्टाफ नर्स ,(नर्सिंग ऑफिसर) की ड्यूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00बजे तक ,द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00बजे से 07:00बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिचारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली में ड्यूटी लगाई जावेगी। उस पाली में ड्यूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू ड्यूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई ड्यूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति मे म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
गांड्हा शा.चि.म.वि.शहडोल (म.प.)



अधिकारी
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प.)

कार्यालय अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय दूरभाष नं. :- 07652-243000
फैक्स नं. :- 07652-243222

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :- www.gmcshahdol.org

क्रमांक / १०४७ / स्था. / राज. / एम.सी. / २०२५

शहडोल, दिनांक १५/०१/२०२५

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल मध्यप्रदेश।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शा.चि.म.वि. जबलपुर, भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्थानीय लेखा शाखा बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल म.प्र।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
बिरसा मुण्डा शा.चि.म.वि. शहडोल (म.प्र.)

अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. :- 07652-243000
फैक्स नं. :- 07652-243222

क्रमांक / 11081/स्था./राज./एम.सी./2025

ई-मेल :- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :- www.gmcshahdol.org

शहडोल, दिनांक 15/01/2025

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 मे किये गये प्रावधानों के अनुसार एवं महाविद्यालय की 14वीं कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये अनुमोदन उपरान्त एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (अ) के तहत स्कूलनी समिति की अनुशांसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 मे उल्लेखित कर्मचारी के एवज मे स्कूलनी समिति की अनुशांसानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 मे उल्लेखित कर्मचारी के एवज मे कॉलम 02 मे उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर एवं कॉलम 05 मे उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 1800-56900 (सातवें वेतनमान के लेवल-03) व्यूनूतम 05 मे उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 18,000/- पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन पैरामेडिकल स्टाफ ड्रेसर ग्रेड-2 के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्र.	कॉलम 03 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यार्थी के नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरान्त पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1.	रागिनी कोरी (ड्रेसर ग्रेड-2) श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी म.प्र.	देवकीनन्दन प्रजापति बिरसा मुण्डा शा.चि. महा.वि.शहडोल म.प्र.	बिरसा मुण्डा शा.चि. महा. वि. शहडोल म.प्र.	अनारक्षित वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

- आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय शहडोल के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
- उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
- स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण -पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी. 3-13/2019/3 एक भोपाल दिनांक 12 दिसम्बर 2019 के अनुसार नियमित पद पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जावेगा।
- परिवीक्षा अवधि में पद के वेतनमान के व्यूनूतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष में 80 प्रतिशत एवं तृतीय वर्ष में 90 प्रतिशत राशि स्टायर्पेंड के रूप में देय होगी।

6. परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान रूपये 1800-56900 (सातवें वेतनमान के लेवल-03) व्यूनतम वेतन 18,000/- प्रतिमाह एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय मंहगाई भल्ते के साथ में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जावेगा।
7. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलिखियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।
8. नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होंगे।
9. संबंधित का कार्य एवं क्षेत्रहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
10. नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
11. नियुक्त व्यक्ति को 50/- रुपये के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
12. चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति मेरे म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
विरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल (म.प्र.)
पृ. क्रमांक / १०८२ / स्था. / राज. / एम.सी. / 2025
प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित-

1. अवर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
3. संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता श्रीमंत राजमाता विजयराजे सिंहिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी म.प्र. की अधिग्रहण कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. स्थानीय लेखा शाखा, विरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र.।
6. संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ड्रेजरी चालान हेड - 0210-01-800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
विरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल (म.प्र.)

(Signature)
अधिष्ठाता
विरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक १५/१./2025

(Signature)
अधिष्ठाता
विरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)



कार्यालय अधिष्ठाता

बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं चिकित्सालय

शहडोल (म.प्र.)

कार्यालय दूरभाष नं. :- 07652-243000
फैक्स नं. :- 07652-243222

ई-मेल:- deanshahdol@gmail.com
वेबसाइट :-www.gmcshahdol.org

क्रमांक / 11.095 / स्था. / राज. / एम.सी. / 2025

शहडोल, दिनांक 15/01/2025

“आदेश”

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय के भोपाल के पत्र क्रमांक एफ2/57/2018/55-1 भोपाल दिनांक 30 सितम्बर 2018 में किये गये प्रावधानों के अनुसार एवं महाविद्यालय की 14वीं कार्यकारिणी की बैठक में लिए गये अनुमोदन उपरान्त एक महाविद्यालय से दूसरे महाविद्यालय में मानवीय संवेदनावश पारस्परिक सहमति से अदला-बदली के आधार पर नवीन नियुक्ति प्रदाय करने हेतु म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय सेवा आदर्श नियम 2018 के उपनियम 10 (3) के तहत स्कूटनी समिति की अनुशासनानुसार नीचे दी गयी तालिका के कॉलम 03 में उल्लेखित कर्मचारी के एवज में कॉलम 02 में उल्लेखित अभ्यार्थी को उसके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में दर्शाये गये पदस्थापना स्थल पर एवं कॉलम 05 में उल्लेखित श्रेणी के अनुसार वेतनमान 28700-91300 (लेवल-07) व्यूबूतम वेतन 28700 पर तथा समय-समय पर शासन द्वारा देय महंगाई भत्तों के साथ निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्टाफ नर्स (नर्सिंग ऑफिसर) के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाती है।

क्रं.	कॉलम 03 में दर्शाये कर्मचारियों के एवज में नियुक्ति किये जाने वाले अभ्यार्थी के नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कर्मचारी का नाम पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना	कॉलम 02 में दर्शाये गये अभ्यार्थी की नियुक्ति उपरांत पदस्थापना	चयनित श्रेणी
1	2	3	4	5
1	सुमित्रा पनिका, (नर्सिंग ऑफिसर) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल (म.प्र.)	पूजा कुमारे, (नर्सिंग ऑफिसर) बिरसा मुण्डा शा.चि.म. वि.शहडोल म.प्र.	बिरसा मुण्डा शा.चि.म. वि.शहडोल म.प्र.	अनुसूचित जनजाति वर्ग

नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी।

1. आदेश जारी होने के दिनांक से 07 दिवस के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के कार्यालय में उपस्थिति प्रतिवेदन देना (कार्यभार ग्रहण) अनिवार्य होगा। अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वयंमेव समाप्त माना जावेगा।
2. उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ-साथ एक-एक छायाप्रति (स्वयं सत्यापित) परीक्षण हेतु प्रस्तुत करना होगा।
3. स्वयं के व्यय से स्वशासी संस्था द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड से मेडिकल फिलेस प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. यह नियुक्ति एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि के लिए होगी।
5. सेवायें नियमानुसार एक माह पूर्व का नोटिस या उसके एवज में एक माह का वेतन देकर समाप्त की जा सकेगी। एवं नियुक्त व्यक्ति द्वारा भी स्वेच्छा से सेवा छोड़ने के लिए तदाशय का एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले एक माह का वेतन (कुल परिलक्षियां) संस्था में जमा करना अनिवार्य होगा।

- नियुक्त व्यक्ति म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के अधीन शासित होंगे।
- संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हड्डाल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
- नियुक्त व्यक्ति के संबंध में प्रस्तुत प्रमाण-पत्र या कोई भी अभिलेख असत्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- नियुक्त व्यक्ति को 50/- रूपयों के स्टाम्प में उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य एवं सही है यदि गलत पाई जाती है तो पूर्ण जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।
- चयनित प्रत्याशी को पुलिस वेरिफिकेशन करवा कर प्रमाण पत्र उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- उपस्थिति के समय पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अंतिम वेतन आहरण पत्रक एवं कार्यमुक्त आदेश प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- स्टाफ नर्स की इयूटी अवधि तीन पालियों में होगी। प्रथम पाली प्रातः 07:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक, द्वितीय पाली दोपहर 01:00 बजे से 07:00 बजे तक तथा तृतीय पाली सायं 07:00 बजे से 07:00 बजे प्रातः अगले दिन तक होगी। प्रमुख पारिचारिका स्टाफ रोस्टर अनुसार जिस पाली में इयूटी लगाई जावेगी। उस पाली में इयूटी करना तथा स्टाफ नर्स के लिए लागू इयूटी नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा। लगाई गई इयूटी न करने की शिकायत प्राप्त होने पर म.प्र.सिविल सेवा आचरण नियम 1965 एवं म.प्र. स्वाशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्साकीय सेवा आदर्श नियम 2018 के तहत कार्यवाही की जावेगी।

नोट :- प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नियुक्ति मे म.प्र. लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन सहित) के लिये आरक्षण प्रावधानों का पालन किया गया है।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
विरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल (म.प्र.)
पृ. क्रमांक / १०९६ - ११०१ / स्था. / राज. / एम.सी. / 2025

(Signature)
अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)
शहडोल, दिनांक / / 2025

प्रतिलिपि:- आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित :-

- अवर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल।
- आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।
- संचालक चिकित्सा शिक्षा भोपाल।
- मुख्य कार्यपालन एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- स्थानी लेखा शा.चि.म.वि.शहडोल म.प्र।
- संबंधित कर्मचारी द्वारा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता की ओर भेजकर लेख है कि कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व रु. 4/- का ट्रेजरी चालान हेड - 0210-01800 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा कर उसकी प्रति अपने उपस्थिति पत्रक के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(Signature)
प्रभारी अधिकारी (स्थापना अराज.)
विरसा मुण्डा शा.चि.म.वि.शहडोल (म.प्र.)

(Signature)
अधिष्ठाता
बिरसा मुण्डा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
शहडोल (म.प्र.)